हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकःप.5(33) एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/विप/2020/7188 दिनांक : 12-02-2021

विद्यापरिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 06.02.2021 को 03.00 बजे ''मन्थन'' सभागार, द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	श्री राजपाल सिंह यादव	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रमुख सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव एवं नाम निर्देशित प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	डॉ. मनोज कुमार लोढा	डीन, पत्रकारिता संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. अजय कुमार सिंह	डीन, जनसंचार संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
7	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

8	डॉ. मनोज कुमार लोढा	संयोजक BoS, मीडिया अध्ययन विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
9	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
10	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
11	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, BA-JMC, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
12	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एंड सोशल वर्क विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

बैठक का आरम्भ आमंत्रित अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26 में उल्लेखित विद्यापरिषद् के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) व पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। तदुपरान्त पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है:–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय/टिप्पणी
2–1	विद्यापरिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 20.01.2020 की अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि।	विद्यापरिषद् की बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–2	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के MA-JMC के विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आनंदम पाठ्यक्रम जोड़े जाने के संबंध में अध्ययन बोर्डों की बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2020–21 के MA-JMC के विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आनंदम पाठ्यक्रम जोड़े जाने के संबंध में अध्ययन बोर्डों की बैठकों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2–3	विश्वविद्यालय में संचालित होने जा रहे पीएच–डी पाठ्यक्रम को अधिनियम के बुनियादी उद्देश्यों में निर्दिष्ट होने के कारण स्व वित्त पोषी (SFS) योजना के स्थान पर नियमित (Regular) पाठ्यक्रम के रूप संचालित किए जाने के संलग्न प्रस्ताव क्रमांक 6828 दिनांक 27.01.2021 का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से पीएच–डी पाठ्यक्रम को स्व वित्त पोषी (SFS) योजना के स्थान पर नियमित (Regular) पाठ्यक्रम के रूप संचालित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2–4	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ख) एवं (ग) के अनुसरण में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड की प्रथम बैठक के निर्णयानुरूप आरम्भ किए गए 05 स्व वित्त पोषी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से 02 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों – (i) डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एवं (ii) डिप्लोमा इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग की अवधि को 6 माह के स्थान पर 01 वर्ष किए जाने तथा इनका नाम क्रमशः पी.जी. डिप्लोमा इन फोटोग्राफी (स्व वित्त पोषी) एवं पी.जी. डिप्लोमा इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग (स्व वित्त पोषी) किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2–5	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ञ) के अनुसरण में शुल्क निर्धारण समिति की संस्तुति के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 में संचालित बीए–जेएमसी, एमए–जेएमसी, डिप्लोमा पाठ्यक्रम (स्व वित्त पोषी), पीएच–डी पाठ्यक्रम हेतु शुल्क संरचना के प्रस्ताव क्रमांक 7091 दिनांक 05.02.2021 का अनुमोदन।	प्रस्ताव में विचार–विमर्श उपरान्त राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की शुल्क संरचना के अनुरूप करते हुए पीएच–डी शुल्क संरचना में बिन्दु संख्या (ख) (2) पर अंकित पीएच–डी पूर्व कोर्स वर्क हेतु शिक्षण शुल्क को रु. 10000/– के स्थान पर रु. 15000/– किए जाने तथा बिन्दु सं.(ग) (5) पर अंकित शोध प्रबन्ध जमा कराने के शुल्क को रु. 5000/– से रु.7000/– किए जाने का निर्णय किया।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय

2–6	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ञ) के प्रावधानों के अनुसरण में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व में निर्धारित विभिन्न शुल्कों में से क्रीड़ा शुल्क, विश्वविद्यालय छात्रसंघ सदस्यता शुल्क, छात्र धरोहर राशि व चुनाव शुल्क, स्टूडियो शुल्क (कतिपय शुल्कों की) आदि की वसूली शैक्षणिक सत्र 2020–21 में स्थगित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 4577 दिनांक 06.10.2020 एवं क्रमांक 4719 दिनांक 19.06.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेशों की पुष्टि की गई।
2–7	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26 (1) (i) के प्रावधानों के अनुसरण में कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार के सुझावों के प्रकाश में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की बकाया परीक्षाओं (एमए–जेएमसी द्वितीय सैमेस्टर और पीजी डिप्लोमा अंतिम सैमेस्टर) की परीक्षा–योजना में संशोधन एवं उनमें पश्चवर्ती संशोधनों के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 3714 दिनांक 06.08.2020, क्रमांक 4315 दिनांक 17.09.2020, क्रमांक 4350 दिनांक 29.09.2020, क्रमांक 4670 दिनांक 15.10.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार के सुझावों के प्रकाश में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की बकाया परीक्षाओं (एमए–जेएमसी द्वितीय सैमेस्टर और पीजी डिप्लोमा अंतिम सैमेस्टर) की परीक्षा–योजना में संशोधन एवं उनमें पश्चवर्ती संशोधनों के संबंध में जारी आदेशों की पुष्टि की गई।
2–8	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) के अनुसरण में सत्र 2020–21 से विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा की व्यवस्था किए जाने और इस हेतु अंशदान निधि के लिए रु. 100/– प्रति छात्र प्रति वर्ष लिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3200 दिनांक 25.06.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–9	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) एवं (ग) के अनुसरण में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालित नए पाठ्यक्रमों में बीए–जेएमसी के पाठ्यक्रम को समाविष्ट कर आंशिक संशोधन उपरान्त जारी आदेश क्रमांक 2902 दिनांक 23.05.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–10	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7 (ख) एवं (ग) के अनुसरण में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से संचालित नए पाठ्यक्रमों में बीए–जेएमसी के पाठ्यक्रम को समाविष्ट कर सीटों के निर्धारण में आंशिक संशोधन उपरान्त जारी आदेश क्रमांक 2911 दिनांक 23.05.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–11	कोविड–19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में दो वर्षीय एमए–जेएमसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वितीय सैमेस्टर (प्रथम वर्ष) में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तृतीय सैमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में क्रमोन्नत (अस्थायी रूप से) किए जाने के आदेश क्रमांक 3250 दिनांक 30.06.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–12	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए जारी शुल्क संरचना में शिक्षण शुल्क में कतिपय वर्गों को छूट दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3766 दिनांक 07.08.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–13	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए जारी शुल्क संरचना आदेश में पीएच–डी हेतु शुल्क में संशोधन के आदेश क्रमांक 3960 दिनांक 24.08.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–14	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(झ) के अनुसरण में सत्र 2020–21 में संचालित विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश हेतु जारी प्रवेश नीति 2020–21 के आदेश क्रमांक 109 दिनांक 26.08.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–15	विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नीति 2020–21 में कोविड–19 संक्रमण के मद्देनज़र प्रवेश नीति के नियम 2.1.1 में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र 2019–20 की स्नातक अंतिम वर्ष/सैमेस्टर परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन हेतु छूट दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 4120 दिनांक 04.09.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–16	विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से लेय विभिन्न शुल्कों में, स्टूडियो की स्थापना नहीं हो पाने के कारण, निर्धारित स्टूडियो शुल्क स्थगित किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 4577 दिनांक 06.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–17	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (i) व (ii) में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 7 (क), (ख) तथा धारा 11(18) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले वैबिनार/सेमिनार एवं विशेष व्याख्यानों के विशिष्ट वक्ताओं हेतु मानेदय स्वीकृति आदेश क्रमांक 4823 दिनांक 27.10.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 5052 दिनांक 28.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेशों की पुष्टि की गई।
2–18	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार एवं वित्त समिति की प्रथम बैठक में अनुमोदन अनुरूप विश्वविद्यालय में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं सेवा संबंधित गतिविधियों को सम्पादित किए जाने हेतु मीडिया जगत के पेशेवर एवं अनुभवी व्यक्तियों को विशिष्ट अभ्यागत विद्वानों एवं एड्जंक्ट फ़ैकल्टी की सूची के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर सूचीबद्ध किए जाने संबंधी आदेश क्रमांक 6434 दिनांक 31.12.2020 एवं आदेश क्रमांक 6446 दिनांक 31.12.2020 तथा संशोधित आदेश क्रमांक 6470 दिनांक 02.01.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेशों की पुष्टि की गई।
2–19	विश्वविद्यालय द्वारा विभागों के नाम के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 2361 दिनांक 04.03.2020 में वर्णित विकास अध्ययन विभाग का नाम संशोधित कर विकास संचार विभाग रखे जाने संबंधी आदेश क्रमांक 3153 दिनांक 22.06.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से विकास अध्ययन विभाग का नाम संशोधित कर विकास संचार विभाग रखे जाने संबंधी आदेश की पुष्टि की गई।
2–20	विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम संख्या 3.15 में शिथिलन प्रदान करते हुए 10 से कम विद्यार्थियों के प्रवेश पर सत्र 2020–21 में एमए–जेएमसी की पाठ्य–योजनाओं में कक्षाओं के गठन की अनुमति प्रदान किए जाने का आदेश क्रमांक 5099 दिनांक 01.12.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर (राजस्थान)

2–21	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1) (i) के अनुसरण में, परीक्षा समिति की अनुशंसाओं तथा पारित निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 से संचालित पाठ्यक्रमों में परीक्षा योजना एवं परीक्षा विषयक शुल्कों के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 2811 दिनांक 13.05.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–22	विश्वविद्यालय में **"शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष"** का गठन करने के आदेश क्रमांक 6448 दिनांक 15.01.2021 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–23	विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 7(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के आधार पर विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 से लागू बीए–जेएमसी के पाठ्यक्रम सम्बन्धी आदेश क्रमांक 4990 दिनांक 07.11.2020 की पुष्टि।	सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की गई।
2–24	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 5 (i) व (ii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 7(ट) के अनुसरण में विश्वविद्यालय हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए भर्ती हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता/योग्यता में विषय विशेष के वैशिष्ट्य अनुरूप वांछित (Desirable) योग्यता जोड़े जाने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है।	सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत शैक्षणिक संवर्ग के पदों के लिए भर्ती हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता/योग्यता में विषय विशेष कें वैशिष्ट्य अनुरूप वांछित (Desirable) योग्यता जोड़े जाने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
2–25	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 5 (i) व (ii) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, धारा 7(ख) व (ग) के अनुसरण में धारा 13(9) के अन्तर्गत कुलपति महोदय को प्राप्त शक्तियों के अनुसार शोध नियमों के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा अनुशंसित पीएच.डी. हेतु प्रवेश अर्हता, पाठ्यक्रम अवधि, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना, शोध निर्देशकों से सम्बन्धित प्रावधान, कोर्स वर्क संबंधी प्रावधान, शोध सलाहकार समिति एवं उसके कार्य, मूल्यांकन पद्धति इत्यादि से संबंधित नियमों के प्रस्ताव का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से शोध नियमों के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा अनुशंसित प्रवेश अर्हता, पाठ्यक्रम अवधि, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश पूर्व परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना, शोध निर्देशकों से संबंधी प्रावधान, कोर्स वर्क संबंधी प्रावधान, शोध सलाहकार समिति एवं उसके कार्य, मूल्यांकन पद्धति इत्यादि से संबंधित नियमों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। आवश्यकता होने पर शोध आर्डिनेंस प्रारूप राजभवन अनुमोदन हेतु भिजवाए जाएं।

कुलपति
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

2–26	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पटल कार्यसूची (टेबल एजेंडा) पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गए।	
2–27	विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा स्नातक, स्नात्तकोतर, डिप्लोमा, शोध आदि हेतु शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित किए जाने तथा शोध, शिक्षण एवं अन्य आनुषंगिक कार्यो में परामर्श हेतु विश्वविद्यालय की वित्त समिति की प्रथम बैठक 13.08.2020 में निर्णयानुरूप RTPP नियम, 2013 के नियम 17 के अनुसार एकल स्त्रोत उपापन पद्धति से दो अकादमिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लिया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्ताव अनुमोदन/पुष्टि हेतु प्रस्तावित है।	सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित किए जाने तथा शोध, शिक्षण एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों में परामर्श हेतु RTPP नियम, 2013 के नियम 17 के अनुसार एकल स्त्रोत उपापन पद्धति से दो अकादमिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

आखिर में बैठक में विचार–विमर्श अनुसार तत्काल तैयार कार्यवाही विवरण की सहमति पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री ओम थानवी	कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
2	श्री राजपाल यादव	संयुक्त सचिव सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature] 6.2.2021
3	डॉ. मोहम्मद नईम	संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग एवं सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
4	श्री ओम सैनी	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]

कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

5	डॉ. मनोज कुमार लोढा	डीन, पत्रकारिता संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
6	डॉ. अजय कुमार सिंह	डीन, जनसंचार संकाय अध्यक्ष एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
7	श्री अशोक कुमार शर्मा	कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
8	डॉ. मनोज कुमार लोढा	संयोजक BoS, मीडिया अध्ययन विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
9	डॉ. अजय कुमार सिंह	संयोजक BoS, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
10	डॉ. ऋचा यादव	संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
11	श्रीमती शालिनी जोशी	संयोजक BoS, BA-JMC, न्यू मीडिया विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]
12	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एंड सोशल वर्क विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर	[signature]

[signature]
कुलसचिव
हरिदेव जोशी पत्रकारिता
और जनसंचार विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)